न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 35/16 सन् 2016

आरसीएमएस संख्या 2016/00336

बउनवानीः–

1. ईदया पुत्र याकूब मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति तौफन पत्नि स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. नवसेर पुत्र स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
4. शरीफ पुत्र स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
5. जलीस पुत्र स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
6. मतलूब पुत्र स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
7. कलाम खान पुत्र स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
8. मु.कसबीना बानो पुत्री स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
9. मु.तकबीना बानो पुत्री स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
10. इरफान खांन पुत्र स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
11. मु. इसराना बानो पुत्री स्व.रहमान मुसलमान निवासी खटुपुरा तहसील सवाईमाधोपुर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता तौफन जाति मुसलमान नि0 खटुपुरा तह.स0मा0

बनाम

1. अमरा उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र अहमद जाति मुसलमान नि0 खटुपुरा, हाल निवासी सुन्दरम नगर हाउसिंग सोसायटी प्लाट संख्या 105 रूम नम्बर 1811 अहमदाबाद गुजरात
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 15 निर्णय दिनांक 26.8.2016 वाके ग्राम नया पढाना तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह वकील अपीलान्ट

2. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– दिनांक 25.3.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 15 निर्णय दिनांक 26.8.2016 वाके ग्राम नया पढाना तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो.संख्या एक अमरा वादी द्वारा एक वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय के साथ न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 23 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा हाल ख0न0 113 रकबा 0.30 है0 ख0न0 114 रकबा 0.18 है0 ख0न0 115 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित थी, पिता की मृत्यु हो जाने पर व अपनी माता के साथ रहता था तथा माता के द्वारा वादी के बडा होने पर अन्य व्यक्ति के नाता कर लिया एवं वादी बेसहारा होने से अहमदाबाद चला गया वादी के आने पर पता चला कि उसके पिता के द्वारा छोडी गयी भूमि को प्रतिवादीगण ने अपने नाम अमल दरामद करवा ली इसलिए वादी ने उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर में दावा प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय उपजिला कलेक्टर अपने निर्णय दिनांक 20.10.2014 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार करके प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री कर दिया। उपजिला कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी

डॉ0 एस. [illegible] सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की गयी जिसकों राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.2.2016 के द्वारा अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर मे अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जिसको मण्डल द्वारा दिनांक 1.4.2016 को एडमीशन की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगवाये जोने के आदेश दर्ज कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9.12.2016 को नियत की गयी किन्तु इसी दरमियान रेस्पो. संख्या 1 ने रेस्पो. संख्या 2 से साझ कर जैर नामा0 संख्या 15 दिनांक 26.8.2016 को तस्दीक करवा लिया गया है जबकि विचाराधीन अपील वर्तमान में राजस्व मण्डल में जैरकार है। जिसमे पक्षकारान के स्वत्व व अधिकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा तय किये जाने है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील निरस्तनीय है। यह कथन भी किया अपीलान्ट विवादित आराजीयात पर 1977 के पूर्व से अपने पूर्वजो के समय से एवं 19.3.1977 से अपीलान्टगण की खातेदारी में दर्ज होने व उनके कब्जे काश्त मे चली आ रही है। इस प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। यह कथन भी किया कि आदेश जैर अपील की जानकारी सर्व प्रथम 15.9.2016 को होने पर व उसकी नकल दिनांक 16.9.2016 को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 का प्रा.पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 15 दिनांक 26.8.2016 माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2014 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.2.2016 की पालना मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है यह तर्क भी दिया कि किसी भी न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज फैसल किया गया नामा0 को नामा0 की अपील के जरिये खारिज नही करवाया जा सकता है। ऐसे नामा0 को उस स्थिति मे निरस्त किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपीलेट न्यायालय द्वारा बदल दिया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेंर मे अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसमे कोई स्थगन ना तो उस समय था ओर ना ही आज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो.द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 15 दिनांक 26.8.2016 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 20.10.2014 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.2.2016 की पालना मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है। चूंकि अपीलाधीन नामा0 न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज फैसल किया गया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल किये गये नामा0 मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि प्रतीत नही होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 15 दिनांक 26.8.2016) में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 14:40:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: